बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ०सं० :– 2/अ०प्र०–1–13/2018 /1096 /पटना, दिनांक :– 12.8.21

चूँकि बिहार सरकार को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री सुनील, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा, सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग द्वारा कार्य प्रमंडल, सहरसा अन्तर्गत सुलिन्दाबाद एस०एच० से मोरकाही–कोरलाही होते हुए सुबेदारी चौक तक पथ मरम्मति कार्य में अनियमितता बरती गयी है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में अर्न्तविष्ट है। इसलिये बिहार सरकार ने आदेश दिया है कि श्री सुनील, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा, सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा समय–समय पर संशोधित) के नियम 19/17 के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री सुनील, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा, सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

11.8.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–13/2018 1096 (7) /पटना, दिनांक :– 12.8.21

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालीस) दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु० :– यथोक्त।

11.8.21

उप सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:-http://rwd.bih.nic.org,E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com & secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–13/2018 1096 (2) /पटना, दिनांक :– 12-8-21

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री सुनील, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा, सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

12.8.21

उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–13/2018 1096 /पटना, दिनांक :– 12-8-21

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, सहरसा/क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5 ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11.8.21

उप सचिव